



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 922]
No. 922]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2007/श्रावण 4, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2007/SRAVANA 4, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2007

का.आ. 1228(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 अगस्त, 2007 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको और जिससे ही उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के उपबंध, नीचे उल्लिखित उन संगठनों को, जो सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सोसाइटियां और कानूनी संगठन हैं, लागू होंगे और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्यांक 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

क्र.सं.	निगम/सोसाइटी/अन्य प्राधिकरण का नाम	
(1)	(2)	
47	लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्	ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत
48	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन
49	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण	ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय
50	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	जहाजरानी, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
51	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	स्वायत्त और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन

(1)	(2)	
52	भारतीय डैन्टल परिषद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कानूनी निकाय
53	लाला राम सरूप क्षयरोग और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
54	चित्रंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
55	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अनुसूची "ख" कम्पनी
56	परामर्शदात्री विकास केन्द्र	विज्ञान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
57	दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली	शहरी विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
58	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	कृषि मंत्रालय के अधीन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत
59	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	कृषि मंत्रालय के अधीन, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित कानूनी निगम
60	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ	कृषि मंत्रालय के अधीन, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत
61	राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रबंध संस्थान	कृषि मंत्रालय के अधीन, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त संगठन
62	नारियल विकास बोर्ड	कृषि मंत्रालय के अधीन कानूनी निकाय

[फा. सं. पी-13030/1/2005 ए.टी.]

आर. रामानुजम, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए :-

- (1) सा.का.नि. 1172(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 1986
- (2) सा.का.नि. 84(अ), तारीख 6 फरवरी, 1987
- (3) सा.का.नि. 409(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1987
- (4) सा.का.नि. 542(अ), तारीख 11 जुलाई, 1995
- (5) सा.का.नि. 748(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1998
- (6) सा.का.नि. 8(अ), तारीख 4 जनवरी, 2002
- (7) सा.का.नि. 499(अ), तारीख 23 अगस्त, 2006

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2007

S.O. 1228(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 1st day of August, 2007 as the date on and from which the provisions of Sub-section (3) of Section 14 of the said Act, shall apply to the organisations mentioned below, being the societies and statutory organisations owned or controlled by the Government and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) number G.S.R. 730(E), dated the 2nd May, 1986, namely :—

In the Schedule to the said notification, after serial number 46 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

S.No.	Name of the Corporation/Society/Other Authority	
(1)	(2)	
47	Council for Advancement of People's Action and Rural Technology	Registered under the Societies Registration Act, 1860 under the Ministry of Rural Development
48	National Institute of Rural Development	Autonomous Organisation under the Ministry of Rural Development
49	National Rural Roads Development Agency	Autonomous body registered under Societies Registration Act, 1860 under the Ministry of Rural Development
50	National Highways Authority of India	Autonomous body under the Ministry of Shipping, Road Transport and National Highways
51	International Institute for Population Sciences	Autonomous Organisation under the Ministry of Health and Family Welfare
52	Dental Council of India	Statutory body under the Ministry of Health & Family Welfare
53	Lala Ram Sarup Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare
54	Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
55	Hindustan Latex Ltd.	Schedule 'B' Company under the Ministry of Health and Family Welfare
56	Consultancy Development Centre	Autonomous body under the Ministry of Science and Industrial Technology
57	Delhi Development Authority, Delhi	Autonomous body under the Ministry of Urban Development
58	National Horticulture Board	Registered under the Societies Registration Act, 1860 under the Ministry of Agriculture
59	National Cooperative Development Corporation	Statutory Corporation established under an Act of Parliament under the Ministry of Agriculture
60	Small Farmers Agriculture Business Consortium	Registered under the Societies Registration Act, 1860 under the Ministry of Agriculture
61	National Institute for Agricultural Extension and Management	Autonomous Organisation registered under Societies Registration Act, 1860 under the Ministry of Agriculture
62	Coconut Development Board	Statutory body under the Ministry of Agriculture."

[F. No. P-13030/1/2005-AT]

R. RAMANUJAM, Jt. Secy.

Note :— The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 730(E), dated 2nd May, 1986 and subsequently amended *vide* following notifications number:—

- (1) G.S.R. 1172(E), dated the 31st October, 1986,
- (2) G.S.R. 84(E), dated the 6th February, 1987,
- (3) G.S.R. 409(E), dated the 20th April, 1987,
- (4) G.S.R. 542(E), dated the 11th July, 1995,
- (5) G.S.R. 748(E), dated the 17th December, 1998,
- (6) G.S.R. 8(E), dated the 4th January, 2002,
- (7) G.S.R. 499(E), dated the 23rd August, 2006.